(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4–1/945/1995 – विरूद्व आदेश दिनांक 28–7–1995 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 30/1994–95 अपील

विशम्भरदयाल (मृतक) पुत्र लालकृष्ण
वारिस
1– महिला जावित्री पत्नि स्व0विशम्भरदयाल
2– रामरतन 3– नरेश 4– पप्पू पुत्रगण
स्व0विशम्भरदयाल
5– रामश्री 6– बुधा पुत्रियॉ स्व.विशम्भरदयाल
सभी निवासी ग्राम विरगवॉ (पावई) सर्किल
पीपरी तहसील व जिला भिण्ड ––आवेदक

विरूद्व

1– भूरीवाई पत्नि रामजीत कोरी

2– रामजीत पुत्र विशम्भर दयाल कोरी

ग्राम विरगवॉ (पावई) तहसील व जिला भिण्ड –– अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एम0के0अग्रवाल)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 4–9 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 4–1/945/1995 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–7–1995 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मौजा विरगवॉ स्थित भूमि सर्वे नंबर 844,1243,1244,1245 के भूमिस्वामी लालकिशन थे, जिनकी मृत्यु उपरांत स्वर्गीय विशम्भरदयाल ने एकमात्र पुत्र होने के आधार पर नामांत्रण किये जाने की मांग की एंव महिला भूरीवाई पत्नि रामजीत कोरी ने बसीयत के आधार पर नामान्तरण की मांग की । नायव तहसीलदार वृत्त पीपरी तहसील भिण्ड ने प्रकरण कमांक 13/92— 93 अ—6 पंजीबद्व कर सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 16—11—93 पारित किया तथा बसीयत के आधार पर महिला भूरीवाई पत्नि रामजीत कोरी का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 43/1993—94 अपील में पारित आदेश दिनांक 7—12—1994 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 4—1/945/1995 में पारित आदेश दिनांक 28—7—1995 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि मृतक खातेदार का स्वर्गीय विशम्भरदयाल एकमात्र पुत्र है विद्वान अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 28—7—1995 में माना है कि यह अभिलेख से प्रमाणित नहीं है कि स्वर्गीय लालकिशन व्दारा धारित भूमि पैत्रिक है अथवा स्वअर्जित है , जिसके कारण बसीयत के आधार पर किया गया नामान्तरण ठीक है । जब अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों में यह तथ्य प्रमाणित नहीं है कि लालकिशन व्दारा धारित भूमि पैत्रिक है अथवा स्वअर्जित है, अधीनस्थ न्यायालयों का दायित्व था कि यह शोध करते कि इस सम्बन्ध मे वास्तविक स्थिति क्या है । स्वर्गीय

लालकिशन व्दारा धारित भूमि पैत्रिक है अथवा स्वअर्जित है, अधीनस्थ न्यायालयों ने सत्यता का पता लगाने का प्रयास नहीं किया। चूँकि मृतक खातेदार का स्वर्गीय विशम्भरदयाल ने एकमात्र रक्तज पुत्र है यदि पैत्रिक भूमि हुई, तब स्वर्गीय विशम्भरदयाल का जन्म से ही उक्त भूमि में हिस्सा है ऐसी स्थिति में बसीयत के आधार पर नामांत्रण किया जाना बेबुनियाद है परन्तु तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस पर विचार नहीं किया है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दोषपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 4—1/945/1995 अपील में पारित आदेश दिनांक 28—7—1995 , अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 43/1993—94 अपील में पारित आदेश दिनांक 7—12—1994 तथा नायव तहसीलदार वृत्त पीपरी तहसील भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 13/92— 93 अ—6 में पारित आदेश दिनांक 16—11—93 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार भिण्ड की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उपरोक्त विवेचनाकम में जॉच करें तथा हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर